भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2319

दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर

2319. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018 से दिल्ली में महिलाओं के साथ घट रहे अपराधों की अपराध-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने मामलों की जांच चल रही है, कितने लोग बरी हुए और कितने दोषी ठहराए गए हैं;

(ग) दिल्ली में कार्यरत वन स्टॉप सेंटरों(ओएससी) की संख्या सहित लोगों और पुलिस के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों की बढ़ती दर से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में महिलाओं पर किये गए अपराध सहित अपराधों के आंकडे संकलित और प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2021 तक उपलब्ध है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सहित महिलाओं के प्रति अपराधों के दर्ज मामलों की अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर उपलब्ध "भारत में अपराध" पर रिपोर्ट किए गए मामलों की तालिका 3क.2 में दिया गया। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के लिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की कुल संख्या क्रमशः 13640, 13395, 10093 और 14277 है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जांच करने और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है। कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत राज्य सरकारें ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। हालाँकि, केंद्र सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

कानूनी सुरक्षा के मामले में, 'आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018' को 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर मौत की सजा सहित और भी अधिक कठोर दंड के प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच और आरोप पत्र दाखिल पूरा करने और 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का भी अधिदेश देता है। सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए 20 सितंबर 2018 को "यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस" (एनडीएसओ) की शुरुआत की है । सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस के लिए समयबद्ध जांच की निगरानी करने और ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 19 फरवरी 2019 को एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण "यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम" की शुरुआत की है।

निर्भया फंड के तहत सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमों/परियोजनाओं में वन स्टॉप सेंटर (733 ओएससी कार्यशील हैं); महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण (34 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यशील), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो कि एक अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/आपात स्थिति के लिए मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है (सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यशील); अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल; 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसमें जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी को अपनाना और समुदाय में क्षमता निर्माण, सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है; फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता; बलात्कार के मामलों और पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना (758 एफटीएससी को 1.60 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करने के लिए कार्यशील बनाया गया है); देश के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/मजबूतीकरण (788 एएचटीयू कार्यशील है, जिनमें 30

सीमा सुरक्षा बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल शामिल हैं); पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण (देश भर में 13557 डब्ल्यूएचडी कार्यशील हैं) आदि।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहलें शुरू की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट का वितरण शामिल है। बीपीआरएंडडी ने चार महत्वपूर्ण घटकों जैसे बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया प्रणाली पर ध्यान देकर महिला हेल्प डेस्क के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए 'पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क' के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों के लैंगिक संवेदीकरण आदि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को मनो-सामाजिक परामर्श की आवश्यकता को महसूस करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से पीड़ित और संकट का सामना करने वाली महिलाओं की मनो-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर(ओएससी) के कर्मचारियों को 'स्त्रीमनोरक्षा' नामक परियोजना के तहत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) की सहायता ली है।

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने समकक्षों और अन्य हितधारकों के सहयोग से संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, दृश्य-श्रव्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता बढाता है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी किए हैं।

******